राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.1(1)कार्मिक/क-4/ 2026 जयपुर, दिनांक : 16-10-2026

आज्ञा

निम्नांकित राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्यहित में एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किए जाते हैः-

क्रसं	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद	नवीन पद	टिप्पणी
1	श्री रामचन्द्र	राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर	सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	रिक्त पद पर
2	श्री अजय कुमार आर्य	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां	रिक्त पद पर
3	श्री जयसिंह-II	उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट (प्रतापगढ़)	उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	श्रीमती सृष्टि जैन के स्थान पर
4	श्री भंवर लाल जनागल	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, डूंगरपुर	रिक्त पद पर
5	श्री मांगी लाल	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	उपखण्ड अधिकारी, वैर (भरतपुर)	रिक्त पद पर
6	श्री सुनील कुमार झिंगोनिया	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	उपखण्ड अधिकारी, हिन्डोली (बून्दी)	रिक्त पद पर
7	सुश्री प्रियंका बड़गूजर	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	उपखण्ड अधिकारी, बसेड़ी (धौलपुर)	रिक्त पद पर
8	श्री हेमन्त कुमार घनघोर	पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में	उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	डॉ. कृति व्यास के स्थान पर

डॉ. कृति व्यास, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) एवं श्रीमती सृष्टि जैन, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (खैरथल-तिजारा) को प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशो तक पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में रखा जाता है। ये अपनी उपस्थिति कार्मिक (क-4) विभाग में देंगी।

प्रस्तावित पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के मध्येनगर उपरोक्त सभी अधिकारीगण को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहणकाल / अवकाश का उपयोग किये तुरन्त प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट itcell.dop@rajasthan.gov.in पर तत्काल भेजेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर्स को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार बिना रिलिवर का इंतजार किये अपने अधीन अधिकारियों को नये पदस्थापन पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित करें। आदेशों की पालना के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी, जिसके लिए अधिकारीगण स्वयं उत्तरदायी होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. धीरज कुमार सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / सम्भागीय आयुक्त / विशिष्ट शासन सचिव।
6 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7 समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
8 समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
9 वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

10 संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।

11 निजी पत्रावली / लेखा पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

12 कार्मिक (क-4) अनुभाग में सेवा अभिलेख संधारित किये जाने वाले सहायक अनुभागाधिकारी / लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में यदि किसी पद का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (ACR) का चैनल निर्धारित नहीं है तो उसकी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

1 प्रतिलिपि अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव